भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2515

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

हिमाचल प्रदेश में सीएसआर

2515. श्री सुरेश कुमार कश्यपः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में विशेषकर हिमाचल प्रदेश और शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सीएसआर के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, पेयजल, खेल, महिला एवं बाल विकास और ग्रामीण अवसंरचना के लिए स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीएसआर निधियों के अधिक प्रभावी, पारदर्शी और संतुलित उपयोग तथा पहाड़ी और दूर-दराज के क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए नीति या नियमों में कोई संशोधन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में विशेषकर शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित और अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) एवं (ख): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा किए गए वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, विगत पाँच वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में राज्य-वार सीएसआर तथा हिमाचल प्रदेश में जिला-वार एवं विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II एवं अनुलग्नक-III में दिया गया है। मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार सीएसआर संबंधी आँकड़े तथा सीएसआर परियोजनाओं की पूर्णता की स्थिति का केंद्रीय रूप से रिकॉर्ड नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (घ): कंपनी अधिनियम के तहत सीएसआर एक बोर्ड-संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका कार्यान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है। यह समिति सीएसआर नीति तैयार करती है और उसकी सिफारिश करती है, जिसमें अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों के अनुरूप कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की रूपरेखा दी गई है। अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक में उपबंध है कि कंपनी उस स्थानीय क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को, जहाँ वह कार्य करती है, प्राथमिकता देगी। तथापि, स्थानीय क्षेत्र पर बल प्रकृति में केवल निदेशात्मक है, अनिवार्य नहीं और कंपनियों को स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकता तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। सरकार किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अथवा किसी विशेष गतिविधि के लिए व्यय करने हेतु कंपनियों को कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती।

अनुलग्नक-I

दिनांक 3.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2515 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.86	9.71	2.53	3.03	15.13
2.	आंध्र प्रदेश	719.81	663.50	987.33	1,175.88	1,383.52
3.	अरुणाचल प्रदेश	10.58	119.42	13.36	39.82	40.06
4.	असम	180.23	406.42	475.11	495.60	607.04
5.	बिहार	89.89	178.97	247.93	261.62	456.12
6.	चंडीगढ़	13.40	51.19	18.51	114.39	146.19
7.	छत्तीसगढ	325.63	317.70	610.16	435.62	551.88
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	27.23	18.27	23.22	30.29	35.92
9.	दिल्ली	724.59	1,198.50	1,518.29	2,004.31	2,752.75
10.	गोवा	41.92	45.43	60.91	86.43	106.01
11.	गुजरात	1,461.60	1,613.18	2,066.67	2,780.14	4,549.10
12.	हरियाणा	550.86	687.13	780.35	850.01	1,385.61
13.	हिमाचल प्रदेश	106.31	140.27	141.40	158.25	225.34
14.	जम्मू और कश्मीर	35.56	50.68	72.19	104.11	224.29
15.	झारखंड	226.54	243.95	400.92	417.40	842.38
16.	कर्नाटक	1,277.81	1,849.82	2,061.40	2,328.53	3,395.43
17.	केरल	290.67	241.58	363.34	399.47	616.57
18.	लक्षद्वीप	0.01	0.97	0.02	0.36	0.57
19.	लद्दाख	-	14.84	11.72	30.48	25.58
20.	मध्य प्रदेश	375.51	427.48	669.11	612.99	1,195.34
21.	महाराष्ट्र	3,464.81	5,407.40	5,723.29	6,283.97	8,630.80
22.	मणिपुर	10.39	15.62	53.69	84.47	33.73
23.	मेघालय	17.63	19.63	23.04	34.66	62.07
24.	मिजोरम	0.97	6.94	11.01	4.48	14.97
25.	नगालैंड	3.57	12.46	13.57	15.41	26.79
26.	ओडिशा	578.16	752.37	998.07	1,404.24	1,574.98
27.	पुदुचेरी	12.43	9.31	14.62	34.53	27.96
28.	पंजाब	158.46	185.41	263.55	368.15	578.49
29.	राजस्थान	670.00	713.85	1,123.16	1,176.73	1,620.16
30.	सिक्किम	17.28	28.24	36.18	41.87	54.55
31.	तमिलनाडु	1,174.07	1,441.03	1,641.23	2,055.31	2,738.49
32.	तेलंगाना	627.71	688.58	1,042.02	1,103.33	1,445.78
33.	त्रिपुरा	9.29	15.91	19.26	9.45	15.89
34.	उत्तर प्रदेश	907.32	1,345.02	1,213.76	1,590.66	2,212.68
35.	उत्तराखंड	160.58	228.09	307.76	366.02	519.98
36.	पश्चिम बंगाल	471.48	571.89	783.45	877.09	1,075.33
37.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	169.47	0.09	10.12	1.06	0.29
38.	संपूर्ण भारत*	7,805.03	5,789.58	6,233.04	7,066.44	662.74
39.	अन्य केंद्रीकृत निधियाँ*	3,491.30	1,631.01	1,148.00	1,071.38	943.48
	कुल	26,210.95	27,141.45	31,183.28	35,917.98	40,794.00

(31 मार्च, 2026 तक का अपडेटेड आंकडे) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

*कंपनियों ने या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम नहीं बताए या एक से ज़्यादा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र, जहां प्रोजेक्ट्स किए गए थे, के नाम बताएं।

अनुलग्नक-II

दिनांक 3.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2515 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश में जिला-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ों रु. में)

क्र.सं.	**जिला-वार**	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	बिलासपुर	0.26	0.95	13.89	25.64	16.62
2	चंबा	5.68	12.99	11.26	16.06	22.83
3	हमीरपुर	2.97	3.52	6.08	9.92	9.35
4	कांगड़ा	2.86	10.78	11.25	7.16	18.63
5	किन्नौर	6.00	2.38	2.18	0.09	13.20
6	कुल्लू	5.96	6.74	8.53	11.08	18.73
7	लाहौल और स्पीति	-	2.13	0.10	0.73	11.24
8	मंडी	0.33	4.79	4.53	4.00	4.98
9	शिमला	2.10	14.28	8.66	7.58	31.64
10	सिरमौर	3.30	7.67	30.62	27.54	29.37
11	सोलन	5.93	17.52	16.23	26.75	43.86
12	ऊना	2.43	3.00	8.13	5.50	4.89
13	जिला जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है	68.50	53.53	19.94	16.19	-
	कुल	106.31	140.27	141.40	158.25	225.34

(31 मार्च, 2026 तक के अपडेटेड आंकडे) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

अनुलग्नक- III

दिनांक 3.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2515 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	कृषि वानिकी	-	0.08	-	-	-
2	पशु कल्याण	0.50	0.00	0.31	0.15	0.24
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरगांनाएं/ आश्रित	0.00	0.04	0.15	0.11	0.15
4	कला और संस्कृति	11.28	8.98	1.52	4.28	7.40
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1.64	0.83	7.77	0.14	1.08
6	शिक्षा	33.75	38.70	39.14	42.76	71.75
7	पर्यावरणीय स्थिरता	4.80	24.31	9.92	16.68	26.13
8	लैंगिक समानता	0.04	0.03	0.02	-	3.61
9	स्वास्थ्य देखभाल	33.40	40.60	32.90	45.01	46.68
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ	3.08	1.68	7.00	1.67	12.63
11	गरीबी, भूखमरी, कुपोषण का उन्मूलन	3.85	1.11	0.66	1.34	5.17
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	10.20	12.11	13.96	11.21	21.29
13	सुरक्षित पेयजल	0.13	0.69	0.58	3.43	0.95
14	स्वच्छता	0.32	1.38	1.66	0.48	1.31
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.08	1.41	3.12	0.42	0.08
16	महिलाओं के लिए आवास और छात्रावास बनाना	-	-	-	0.10	-
17	अनाथालय की स्थापना	0.02	0.01	-	0.02	0.04
18	स्लम क्षेत्र विकास	-	0.01	-	-	0.12
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएँ	0.19	0.03	2.91	0.10	0.07
20	विशेष शिक्षा	0.18	0.07	0.01	0.27	0.47
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.35	-	-	-	-
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	1.66	2.57	10.82	4.32	9.34
23	व्यावसायिक कौशल	0.39	3.95	2.19	9.56	9.59
24	महिला सशक्तिकरण	0.46	1.69	6.76	14.79	7.26
25	एनईसी/उल्लिखित नहीं*	-	-	-	1.43	-
	कुल	106.31	140.27	141.40	158.25	225.34

(31 मार्च, 2026 तक का अपडेटेड आंकडे) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

*कंपनियों ने या तो क्षेत्र के नाम नहीं बताए या एक से अधिक क्षेत्र जहां परियोजना किए गए थे, बताए।
